<u>अति महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या- 159/सैतालीस-का-5-2024-(1810563)</u>

प्रेषक,

डॉ० देवेश चतुर्वेदी ,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 **लखनऊ : 29/04/2024**

विषय:-समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या- 63/सैतालीस-का-5-2024-(1788429) दिनांक 24.02.2024 एवं पत्र संख्या-63(1)/सैतालीस-का-5-2024-(1788429) दिनांक 05.04.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अत्तर प्रदेश राज्य की सेवा में कार्यरत समूह ‘क’ एवं ‘ख’ श्रेणी के समस्त अधिकारियों की वर्ष 2023-24 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

2- वर्ष 2023-24 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकन हेतु Work flow दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक जेनरेट किये जाने के स्पष्ट निर्देश कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत उपरोक्त पत्रों में दिए गए हैं परन्तु प्रकरण में समीक्षा किये जाने पर यह संज्ञान में आया है कि मानव सम्पदा पोर्टल पर कुल पंजीकृत समूह ‘क’ एवं ‘ख’ श्रेणी के अधिकारियों के सापेक्ष जेनरेट किये Work flow की संख्या लगभग नगण्य है । यह स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है ।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानव सम्पदा पोर्टल पर वार्षिक प्रविष्टि (ACR) अंकन हेतु Work flow जेनरेट किये जाने में विभागों के समक्ष परिलक्षित हो रही समस्याओं के निराकरण हेतु मई, 2024 के प्रथम सप्ताह में NIC द्वारा उपाम के माध्यम से 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। कृपया अपने विभाग के नोडल अधिकारी / ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर को विभाग में परिलक्षित हो रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में यथावश्यकता प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करते हुए वर्ष 2023-24 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकन हेतु Work flow दिनांक 15 मई, 2024 तक अवश्य ही जेनरेट किया जाना सुनिश्चित कराने

का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ० देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. महानिदेशक, उपाम, अलीगंज, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आहूत करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
10. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०।
13. श्री ए०के० रावत, तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आहूत कराने हेतु।
14. वेब अधिकारी / वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।